उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।

विविध फौजदारी प्रार्थनापत्र संख्या 1587 सन् 2022

(अंतर्गत धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

राम रतन सिंह बिष्ट .... आवेदक

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य व अन्य .... उत्तरदातागण

अधिवक्ता – श्री सौरभ कुमार पाण्डेय, आवेदक की ओर से अधिवक्ता
श्री वी0एस0 राठौर, ए0जी0ए0, राज्य की ओर से

<u>माननीय न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा</u>

दाण्डिक परिवाद संख्या 5113/2013 अनिल कुमार नन्दवानी बनाम राम रतन एवम् अन्य, धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 दिनांक 12 मार्च 2012 को अतिरिक्त सिविल जज (जूनियर डवीजन)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी, जिला नैनीताल के न्यायालय में संस्थित किया गया।

2. उक्त मामले में कार्यवाही अग्रसर हुई और उक्त मामले के लम्बन के दौरान वर्तमान प्रार्थी राम रतन सिंह बिष्ट द्वारा 24 जनवरी, 2018 को धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दस्तावेजों को समन करने के लिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया जो अवर न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 15 नवम्बर, 2018 द्वारा खारिज कर दिया गया। उसके बाद मामले में दिनांक 14 अगस्त, 2019 को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया और विरोधी पक्ष की निष्क्रियता के कारण उसका साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 25–02–2020 द्वारा बन्द कर दिया गया और उक्त मामले में निर्णय हेतु 29 फरवरी, 2020 की तिथि नियत कर दी गई।

3. साक्ष्य प्रस्तुत करने के अवसर समाप्ति आदेश दिनांकित 25 फरवरी, 2020 के विरूद्ध जिला एवम् सत्र न्यायालय, नैनीताल के समक्ष दाण्डिक निगरानी संख्या 33/2021 राम रतन सिंह बिष्ट बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य प्रस्तुत किया गया जिसे निगरानी न्यायालय द्वारा आदेश

दिनांकित 6 अप्रैल, 2021 द्वारा स्वीकार करते हुये निगरानीकर्ता के साक्ष्य प्रस्तुत करने के अवसर समाप्ति आदेश को अपास्त कर दिया गया और विचारण न्यायालय को निगरानीकर्ता द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु तिथि नियत करने हेतु निर्देशित किया गया। निगरानी न्यायालय के आदेश का सुसंगत भाग निम्न प्रकार है :—

> ''उक्त दाण्डिक निगरानी स्वीकार की जाती है। विद्वान सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी, जिला नैनीताल द्वारा दाण्डिक वाद संख्या 5153/2013 अनिल कुमार बनाम राम रतन व अन्य में पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 22—02—2020 अपास्त किया जाता है। विचारण न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि वह प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु तिथि नियत करे और उसके बाद नियमानुसार कार्यवाही अग्रसर करे, तथापि यदि निगरानीकर्ता/अभियुक्त नियत तिथि पर प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है तो विचारण न्यायालय मामले में विधिनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र होगा।''

4. इस स्तर पर यह टिप्पणी करना उचित है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत आवेदन को खारिज करने का विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 05 नवम्बर 2018 अंतिम हो गया है क्योंकि इसे चुनौती नहीं दी गई है। यह विवादित नहीं है कि कार्यवाही दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के चरण तक पहुंच गई थी। उक्त परिवाद की कार्यवाही के पश्चातवर्ती स्तर पर वर्तमान प्रार्थी द्वारा दिनांक 01 नवम्बर 2021 को धारा 143 परक्राम्य लिखत अधिनियम सपठित धारा 91 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पीडब्ल्यू 1 को पुनः बुलाए जाने बावत प्रस्तुत किया गया।

5. आवेदक द्वारा उक्त आवेदन में दो अनुतोष की मॉग की गई—

(i) पीडब्ल्यू 1 को दोबारा परीक्षण के लिए वापस बुलाने,

(ii) 25 फरवरी 2012 तक का सम्पूर्ण खाता बही प्रस्तुत करने।

6. दाण्डिक वाद संख्या 5113/2021 अनिल कुमार बनाम राम रतन व अन्य में धारा 91 दण्ड प्रक्रिया संहिता सपठित धारा 143 परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे), हल्द्वानी जिला नैनीताल द्वारा निरस्त कर दिया गया जिसे वर्तमान याचिका में प्रश्नगत किया गया है।

7. किसी विशेष कानून के तहत कार्यवाही के नियमन को क्रियान्वित करने वाला प्रक्रियात्मक कानून एवम् विशेष अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही में लागू होने वाले सख्त प्रक्रियात्मक कानून के आकर्षण के अधीन है और वह भी विशेष रूप से जब कार्यवाही परक्राम्य लिखित अधिनियम के प्रावधान से संबंधित हो। यह विचार करना है कि अधिनियम की धारा 142, 142ए और 143 के तहत निहित प्रावधानों में से किसी भी परिस्थिति में परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत कार्यवाही उक्त अधिनियम के अध्याय 17 के तहत निहित प्रावधानों द्वारा विनियमित की जानी है, हालांकि उपरोक्त सन्दर्भित प्रावधान, दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की तुलना में अपने अस्तित्व और आवेदन में स्वतन्त्र और सही है इसलिए परक्राम्य लिखत अधिनियम विशेष अधिनियम होने के कारण, जिसके पास उक्त अधिनियम के तहत कार्यवाही तय करने के लिए अपना आंतरिक शासी तंत्र होगा क्योंकि यह स्वनिहित प्रक्रियात्मक प्रावधान है।

8. इस न्यायालय का विचार है कि दिनांक 6 अप्रैल 2021 के आक्षेपित निर्णय द्वारा वर्तमान आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए पुनरीक्षण को स्वीकार करने का प्रभाव, जिसके परिणामस्वरूप उसके साक्ष्य को बन्द कर दिया गया था और उसके बाद 01 नवम्बर 2021 को आवेदन दाखिल करने का परिणाम परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 143 का स्पष्ट उल्लंघन होगा जो दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों पर अधिभावी प्रभाव रखता है। धारा 143 परक्राम्य लिखत अधिनियम का संदर्भ प्रासंगिक होगा क्योंकि यह गैर बाध्यकारी खण्ड से शुरू होता है और इसका उद्देश्य धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत परिवाद कार्यवाही का संक्षिप्त विचारण करना है। दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रक्रियात्मक कानून को धारा 143 परक्राम्य लिखत अधिनियम के उद्देश्यों को आच्छादित करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है जिसे दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रक्रियात्मक प्रावधानों पर अधिभावी प्रभाव दिया गया है।

> **"धारा 143 परक्राम्य लिखित अधिनियम निम्न प्रकार है –**
>
> (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अन्तर्विष्ट किसी चीज के होते हुए भी, इस अध्याय के अधीन सभी अपराधों का विचारण प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा और उक्त संहिता की धारा 262 से 265 तक (दोनों को शामिल करके) के

प्रावधान यथाशक्य ऐसे विचारणों को लागू होंगेः

परन्तु इस धारा के अधीन संक्षित विचारण में किसी दोषसिद्धि के मामले में, मजिस्ट्रेट के लिए एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास और पॉच हजार रूपये से अधिक धनराशि के जुर्माने का दण्ड पारित करना विधिपूर्ण होगा :

परन्तु यह और कि जब इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण के प्रारम्भ पर या के अनुक्रम में मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि एक वर्ष से अधिक की अवधि का कारावास का दण्ड पारित किया जा सकेगा या किसी अन्य कारण से मामले का संक्षिप्त ढंग से विचारण करना अवांछनीय है, जब मजिस्ट्रेट, पक्षकारों को सुनने के बाद, इस प्रभाव का आदेश अभिलिखित करेगा और इसके बाद किसी साक्षी को बुलाएगा, जिसकी परीक्षा की जा सकेगी और उक्त संहिता द्वारा उपबन्धित ढंग में मामले की सुनवाई और पुनः सुनवाई करने की कार्यवाही करेगा।

(2) इस धारा के अधीन मामले का विचारण, यथासाध्य, लगातार न्याय के हित में, दिन प्रतिदिन उसके निर्णय तक जारी रहेगा, जब तक न्यायालय लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से विचारण को आगामी दिनों के लिए स्थगित करना आवश्यक होना नहीं पाता।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक विचारण यथावसम्भव शीघ्रता से किया जाएगा और परिवाद दाखिल करने की तारीख से छः मास के भीतर विचारण का अन्त करने का प्रयास किया जाएगा।''

9. न्यायालय के मत में, धारा 91 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत विहित प्रावधानों को आकर्षित करते हुए 6 अप्रैल 2021 के निर्णय द्वारा निगरानी स्वीकार होने के बाद पुनः धारा 91 दण्ड प्रक्रिया संहिता व 143 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत विलंबित आवेदन दाखिल करना धारा 143 परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत निहित प्रावधानों का उल्लंघन होगा इसलिए यह आवेदन अस्वीकृति के उचित कारणों में से एक होगा।

10. विवाद को एक अन्य रूप से देखते हुए और जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के तहत आवेदक द्वारा दायर आवेदन को धारा 143 परक्राम्य लिखत अधिनियम के साथ पढ़ने के लिए अदालत द्वारा अस्वीकार करने का कारण भी बनता है, परक्राम्य लिखत अधिनियम का प्रावधान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के

आशय के परस्पर प्रभाव के सम्बन्ध में है। धारा 91 दण्ड प्रक्रिया संहिता निम्न प्रकार है :–

''91 दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन

(1) जब कभी कोई न्यायालय या पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी यह समझता है कि किसी ऐसे अन्वेषण, जांच, विचारण, या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए, जो इस संहिता के अधीन ऐसे न्यायालय या अधिकारी के द्वारा या समक्ष हो रही हैं, किसी दस्तावेज या अन्य चीज का पेश किया जाना आवश्यक या वांछनीय है तो जिस व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में ऐसी दस्तावेज या चीज के होने का विश्वास है उसके नाम ऐसा न्यायालय एक समन या ऐसा अधिकारी एक लिखित आदेश उससे यह अपेक्षा करते हुये जारी कर सकता है कि उस समन या आदेश में उल्लिखित समय और स्थान पर उसे पेश करे अथवा हाजिर हो और उसे पेश करे।

(2) यदि कोई व्यक्ति, जिससे इस धारा के अधीन दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने की ही अपेक्षा की गई है उसे पेश करने के लिए स्वयं हाजिर होने के बजाय उस दस्तावेज या चीज को पेश करवा दे तो यह समझा जाएगा कि उसने उस अपेक्षा का अनुपालन कर दिया है।

(3) इस धारा की कोई बात –

(क) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 123 और 124 या बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 (1891 का 13) पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी, अथवा

(ख) डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी पत्र, पोस्टकार्ड, तार या अन्य दस्तावेज या किसी पार्सल या चीज को लागू होने वाली नहीं समझी जाएगी।

11. इसके उपरान्त इस स्तर पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 का संदर्भ प्रासंगिक और अपरिहार्य हो जाता है जो निम्न प्रकार है :–

''311 आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति– कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति की, जो हाजिर हो, यद्यपि वह साक्षी के रूप में समन न किया गया हो, परीक्षा कर सकता है, किसी व्यक्ति को, जिसकी पहले परीक्षा की जा चुकी है

पुनः बुला सकता है और उसकी पुनः परीक्षा कर सकता है, और यदि न्यायालय को मामले के न्यायसंगत विनिश्चय के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है तो वह ऐसे व्यक्ति को समन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा या उसे पुनः बुलाएगा और उसकी पुनः परीक्षा करेगा।''

12. यदि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के तहत निहित प्रावधान को ध्यान में रखा जाता है तो इसका उद्‌देश्य **''दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन''** था क्योंकि यह अध्याय 7 के उपखण्ड (ए) के तहत आता है।

13. इस प्रकार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 विशेष रूप से केवल एक दस्तावेज प्रस्तुत करने के उद्‌देश्यों के लिए सीमित थी जो प्रभावी परीक्षण के लिए प्रासंगिक हो सकता है। जहां दस्तावेज, जिसे अभिलेख पर रखने की मांग की जा रही है, को कार्यवाही तय करने के लिए विचार में लिए जाने के लिए विश्वसनीय प्रासंगिकता मिली है और वह भी तब जब धारा 138 के तहत परिवाद कार्यवाही में आकर्षित करने का प्रयास कर रहा हो जो कि संक्षिप्त प्रकृति का है।

14. जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के प्रावधान उक्त न्यायालय की राय में दस्तावेज या चीजों को बुलाने तक ही समिति है जिसका प्रयोग आवेदक द्वारा धारा 91 दण्ड प्रक्रिया संहिता सपठित धारा 143 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत 1 नवम्बर 2021 को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर पीडब्ल्यू 1 को पुनः परीक्षा के लिए बुलाने के लिए नहीं किया जा सकता है।

15. पुनः परीक्षा के प्रयोजनों के लिए किसी गवाह को बुलाना दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 का उद्‌देश्य व आशय नहीं है, इसका उपयोग वैकल्पिक रूप से पुनः परीक्षा के लिए पीडब्ल्यू 1 को बुलाने के लिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक गवाह की पुनः परीक्षा विशेष रूप से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत निहित विधिक प्रावधानों के दायरे में आती है जो प्रक्रियात्मक कानून के अंतर्गत आता है। ऐसी स्थिति में, धारा 91 दण्ड प्रक्रिया संहिता का सहारा लेकर आदेश दिनांकित 15 नवम्बर 2018 को निष्प्रभावी कर साक्षी को पुनः परीक्षण के लिए बुलाने के विकल्प के रूप में नहीं लिया जा सकता है, जहां धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत

आवेदक का आवेदन पहले ही खारिज कर दिया गया हो और अस्वीकृति आदेश ने अंतिमता प्राप्त कर ली हो। वास्तव में, आवेदक द्वारा धारा 91 दण्ड प्रक्रिया संहिता सपठित धारा 143 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर अपनाया गया उपाय एक चालाकीपूर्ण वैकल्पिक उपाय था जिसे वर्तमान आवेदक द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत साक्षी को पुनः परीक्षा के लिए बुलाने बाबत प्रस्तुत आवेदन पर पारित अस्वीकृति आदेश के प्रभाव को अपने नियंत्रण में लाने के लिए अपनाया गया था।

16. प्रक्रियात्मक कानून के तहत, जब दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 और 311 का आशय एक दूसरे पर लागू होने में बिल्कुल अलग होता है तो आवेदक को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत निहित प्रावधान के विकल्प के रूप में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 को पढकर दो प्रावधानों को आपस में मिलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और वह भी विशेष रूप से तब जब इसका प्रभाव गवाह की पुनः परीक्षा के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर पारित निर्विवाद आदेश पर अधिभावी प्रभाव रखता हो।

17. इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि धारा 91 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन प्रस्तुत कर, किसी दस्तावेज को मंगाने की आड़ में, किसी साक्षी को पुनः परीक्षा के लिए बुलाने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता इसलिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के तहत मुख्य अनुतोष व आशय का आवेदन पीडब्ल्यू 1 की पुनः परीक्षा के लिए आवेदन था।

18. पश्चातवर्ती स्तर पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 145(2) के आलोक में धारा 145(2) परक्राम्य लिखत अधिनियम पर न्यायालय को सम्बोधित करने का प्रयास किया गया जो निम्न प्रकार है –

> "(2) न्यायालय, यदि वह ठीक समझता है, अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर, उसमें अन्तर्विष्ट तथ्यों के सम्बन्ध में शपथपत्र पर साक्ष्य देने वाले किसी व्यक्ति को समन कर सकेगा और करेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा और करेगा।"

19. यहां तक की परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 145 भी

गैर बाध्यकारी खण्ड (non-obstinate clause) के साथ शुरू होती है अर्थात धारा 145 को अपने अस्तित्व में स्वतन्त्र दर्जा दिया गया है और दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत निहित प्रावधानों द्वारा अस्पष्ट नहीं किया गया और वह भी विशेष रूप से, जब धारा 145 का आशय केवल **''शपथपत्र''** के माध्यम से साक्ष्य देने के उद्देश्यों के लिए सीमित है।

20. **''शपथपत्र''** शब्द का संदर्भ फिर से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के तहत किसी दस्तावेज को पेश करने या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत किसी गवाह की पुनः परीक्षा के उद्देश्यों के लिए विकल्प नहीं हो सकता है।

21. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा धारा 145 की उपधारा (2) के तहत निहित प्रावधान के आलोक में तर्क देने का प्रयास किया गया, जहां एक अनन्य विशेषाधिकार विचारण न्यायालय के पास निहित किया गया है, जिसका उपयोग अभियोजन या अभियुक्त पक्ष के आवेदन पर किसी व्यक्ति को बुलाने और उसकी परीक्षा करने के लिए किया जा सकता है, एक शपथपत्र पर साक्ष्य देना धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत उसके आवेदन की अस्वीकृति के आदेश के अपवाद के रूप में अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है और वह भी जब धारा 145 की उपधारा (2) के तहत समन या पुनः परीक्षा का विकल्प, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा जो कि धारा 145 और विशेष रूप से धारा 145 की उपधारा (2) से भी स्वतन्त्र है।

22. उस स्थिति में और उन कारणों से जो इस न्यायालय द्वारा दिए गए हैं, वर्तमान आवेदक का दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत आवेदन 15 नवम्बर, 2018 के आदेश द्वारा बन्द कर दिया गया था, जिसे हालांकि बाद में निगरानी न्यायालय के आदेश दिनांक 06 अप्रैल 2021 द्वारा वापस ले लिया गया था, आवेदन दाखिल करना स्वयं परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 143 के तहत निहित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन होगा, जिसे इस न्यायालय की राय के अनुसार, एक संक्षिप्त परीक्षण करने के उद्देश्य के लिए, जैसा कि परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रावधानों के तहत परिकल्पित किया गया है, विशेष दर्जा प्राप्त है और पुनरावृत्ति के माध्यम से भी धारा 91 दण्ड प्रक्रिया संहिता का उपयोग धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता

के विकल्प के रूप में नहीं किया जा सकता इसलिए अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं दिखती है जिसमें धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सके। वर्तमान सी–482 आवेदन में योग्यता का अभाव है और इसे इसके द्वारा खारिज किया जाता है।

(शरद कुमार शर्मा, न्यायमूर्ति)
07.09.2022